फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा निवासी वार्ड नं. 34 पो0 देवगढ़ मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 45/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक [redacted]1.07..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :- आरटीआई/12/अपील-45/2025/263 दिनांक 18.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. श्री उदयलाल कंसारा निवासी देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 16.04.2025 ऑनलाई क्रमांक 2444483118800 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रतीत हुआ कि चाही गई सूचना आंशिक रूप से तहसील कार्यालय देवगढ़ से संबंधित है। हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/12/2025/159 दिनांक 22.04.2025 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(II) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र को अन्तरण तहसीलदार देवगढ़ को कर दिया गया। तथा शेष सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/12/2025/229 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त कराना फरमावे। तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ के क्रमांक :- सूकाअ/09/2025/38 दिनांक 28.05.2025 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 में चाही गई सूचना में विशिष्टिया नहीं दर्शाने तथा विवरण अपूर्ण होने से सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना आंशिक रूप से तहसील कार्यालय देवगढ़ से संबंधित होने से जरिये पत्रांक आरटीआई/12/2025/159 दिनांक 22.04.25 द्वारा अन्तरण की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ अपीलार्थी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को जरिये पत्र क्रमांक सूकाअ/09/2025/38 दिनांक 28.05.2025 से सूचित किया गया कि बिन्दु संख्या 01 में चाही गई सूचना में विशिष्टयां नही दर्शाने व विवरण अपूर्ण होने से सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। जिसकी प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को प्रेषित की गई। तथा उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा अपीलार्थी को, चाही गई सूचना में विशिष्टयां नही होने तथा विवरण अपूर्ण होने के संबंध में जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/12/2025/229 दिनांक 30.05.2025 से सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु स्पष्ट व विशिष्टया सहित नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)